भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2388
जिसका उत्तर बुधवार, 01 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

मामलों की समयबद्ध सुनवाई

2388. डॉ. उदित राज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सत्र न्यायालयों और जिला न्यायालयों में विभिन्न आपराधिक और सिविल मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और (ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) और (ख) : अनेक विशेषज्ञ समितियों ने, जिनमें भारत का विधि आयोग भी है, मामलों के विलंबित निपटान के कारणों का अध्ययन किया है । की गई सिफारिशों के आधार पर, आपराधिक और सिविल मामलों की समयाबद्ध सुनवाई और शीघ्र निपटारे को समर्थ बनाने के लिए प्रक्रियात्मक विधियां अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) और सिविल प्रक्रिया संहिता (सि.प्र.सं.) अनेक उपाबंध समाविष्ट किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, अनावश्यक स्थगनों को निरुत्साहित करने वाले संशोधन; दांडिक मामलों में ऑडियो/विडियों प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुज्ञात करने वाले संशोधन; स्थगनों के लिए खर्च का अधिरोपण, ई-मेल, फैक्स, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवाओं का उपयोग करते हुए समनों की तामील को अनुज्ञात करना, और लिखित कथन फाइल करने के लिए सीमा को परिसीमित करना भी है ।

इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट विधियों में इन नियमों के अधीन शासित मामलों में विचारण के पूरा किए जाने के लिए भी उपबंध करती है । उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 यह उपबंध करता है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि दलीलें प्रथम मामला प्रबंध सुनवाई की तारीख से छह मास के अपश्चात समाप्त हो जाती हैं और न्यायालय, यथा शक्य, यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य का अभिलेखन दिन प्रतिदिन के आधार पर तब तक किया जाएगा जब तक सभी साक्षियों की प्रति परीक्षा पूरी नहीं हो जाती है । इसी प्रकार बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 में यह उपबंध है कि किसी बालक का साक्ष्य तीस दिन की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाना है और विचारण अपराध के संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की

अवधि के भीतर ही, यथाशक्य, पूरा किया जाना चाहिए। अन्य उदाहरण सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का है जो यह उपबंध करता है कि साइबर अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील पर यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और छह मास के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई और निपटान न्यायपालिका की अधिकारिता में आता है। न्यायालयों में मामलों (सिविल और आपराधिक) का समय से निपटान अनेक घटकों जो अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में उपलभ्यता, भौतिक अवसंरचना और न्यायालय सहायक कर्मचारिवृंद, अन्तवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरणों, मुकदमेबाजों और साक्षियों का सहयोग, नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोग, पर निर्भर करता है।

****